



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JD:14339

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3208/2026

Pritam Alawat S/o Mewa Ram, Aged About 30 Years, R/o Village Kailasar Police Station Kalayat District Kethai Haryana. (At Present Lodged In Jail Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lalit Solanki
For Respondent(s)	:	Mr. Hauman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना सरदार शहर, जिला चूरू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 434/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में दो सिक्के चांदी जैसे धातु के व दो गोल रिंग सोने जैसी धातु की प्रार्थी-अभियुक्त से बरामद होने का आरोप है। प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 13.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। यह मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व



परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रितम अलावत पुत्र मेवाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

117-mayank/-